तारीख हुक्म		
8/10/18		पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार-2018 के कैम्प [illegible] में पेश हुई। तहसीलदार से बंटवारा रिपोर्ट में पेश हुई। स्कीम तलब हुई, अवलोकन किया गया। द्वारा पार्टी मुताबिक बंटवारा स्कीम फाइनल डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
		(हस्ताक्षर)
8/10/18		वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 CPC पेश कर निवेदन किया है कि प्राथमिक निर्णय एवं फाइनल निर्णय में मुद्रण के टंकण गलती से प्रतिवादी सं. 4 का गलत नाम दर्ज हो गया है, इसलिए प्रति० सं. 4 का कालूलाल पुत्र सुन्दरलाल के स्थान पर देवीलाल पुत्र सुन्दरलाल नाम दर्ज करने के आदेश फरमावें।
(हस्ताक्षर) 8/10/18 (श्री रामसिंह एड० प्रति० 1,2,3 की ओर से)		प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध प्राथमिक निर्णय, फाइनल निर्णय, डिक्री व पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रति० सं. 4 का टंकण गलती से कालूलाल पुत्र सुन्दरलाल दर्ज हो गया है।
		अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रति० सं. 4 का कालूलाल पुत्र सुन्दरलाल के स्थान पर देवीलाल पुत्र सुन्दरलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इसी अनुसार संशोधित प्राथमिक निर्णय [illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
जमनाप्रसाद vs बाबूलाल वगैरह दावा	
जारी हो । तहरीर तहसीलदार, सपोटरा को जारी होकर संशोधित बंटवारा स्कीम तलब की जावे । पत्रावली दिनांक 29/10/18 को पेश हो ।	5112 4021 23/10/18
29/10/18 तहसीलदार सपोटरा के पत्रांक / LR / 2018/3573 दि० 26/10/18 से संशोधित बंटवारा स्कीम तलब हुई । अवलोकन किया गया संशोधित बंटवारा स्कीम अनुसार प्रतिवादी सं. 4 का नाम फाईनल निर्णय एवं डिक्री में धनीलाल पुत्र कुन्दा के स्थान पर देवीलाल पुत्र कुन्दा जाटव अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है । इसी अनुसार संशोधन किया जावे । पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी— श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख फाईनल निर्णय
53/13	दावा	11.12.13	29.06.18

जयराम पुत्र दीपा जाति बैरवा निवासी नहर का पुरा (खावदा) तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—वादी

बनाम

1. बबलू 2. पिन्टू पि0 कल्याण जातिगण बेरवा निवासी खावदा तहसील सपोटारा जिला करौली 3. कमला बेवा कल्याण जाति बेरवा निवासी खावदा तह0 सपोटरा जिला करौली 4. ~~बत्तीलाल~~ देवीलाल पुत्र सुन्दर बैरवा निवासी चौड़ागांव तह0 सपोटरा जिला करौली 5. रामलड्डू पुत्र घूड़या 6. रूकमणी पत्नि बत्तीलाल 7. कलावती पत्नि किशनलाल 8. बाबूलाल पुत्र लक्ष्मणलाल समस्त जातिगण बैरवा निवासी खावदा तहसील सपोटरा जिला करौली राज0 9. शाखा प्रबन्धक एस0बी0बी0जे0 शाखा सपोटरा जिला करोली 10. शाखा प्रबन्धक पी0एन0वी0 शाखा अमरगढ तहसील सपोटरा जिला करौली 11. शाखा प्रबन्धक पी0एन0बी0 शाखा सपोटरा जिला करौली 12. उपपंजीयक तहसील सपोटरा जिला करौली 13. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2018 फोलो अप कैम्प सपोटरा मे पेश हुई। प्रकरण को कैम्प कोर्ट मे रखा जाकर सुना गया। संक्षेप में वाद तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम खावदा तहसील सपोटरा की आराजी विवादित वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी का बंटवारा बावत् किया गया दावा इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई प्राथमिक निर्णय दिनांक 31.05.2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार सपोटरा से वंटवारा स्कीम तलब की गई।

तहसीलदार सपोटरा के पत्रांक एलआर/18/2178 दिनांक 29.06.18 द्वारा वंटवारा स्कीम प्राप्त हुई, अवलोकन किया गया। दावा वादी मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री किया जाकर ग्राम खावदा तह0 सपोटरा की विवादित आराजीयात का वंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

1. वादी जयराम पुत्र दीपा जाति बैरवा हिस्सा के हिस्से मे ख0नं0 175/1 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं0 236 रकबा 11 विस्वा किता 2 कुल रकवा 01 बीघा 05 बिस्वा रहेगा।
2. प्रतिवादी सं0 5 रामलड्डू पुत्र घूड़या जाति बैरवा हिस्सा के हिस्से मे खसरा न0 175/3 रकवा 10 विस्वा रहेगा।
3. प्रतिवादी सं0 1 ता 3 बवलू, पिन्टू पि0 कल्याण, कमला पत्नि स्व0 कल्याण के हिस्से मे खसरा नं0 175/4 रकवा 12 विस्वा, खसरा नं0 236/1 रकवा 11 विस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 01 वीघा 03 विस्वा रहेगा।
4. प्रतिवादी सं0 4 वत्तीलाल पुत्र सुन्दर जाति बैरवा के हिस्से मे खसरा नं0 175/5 रकवा 12 विस्वा रहेगा।
5. प्रतिवादी सं0 6 व 7 रूकमणि पत्नि वत्तीलाल, कलावती पत्नि किशनलाल के हिस्से मे खसरा नं0 236/2 रकवा 11 विस्वा रहेगा।
6. प्रतिवादी सं0 8 बाबूलाल पुत्र लक्ष्मण लाल जाति वैरवा के हिस्से मे खसरा नं0 236/3 रकवा 10 विस्वा रहेगा।

वंटवारा स्कीम के साथ संलग्न ट्रेस डिकी का जुज रहेगा। इसी अनुसार डिकी जारी हो।

Note- प्रति० सं० 4 का नाम बत्तीलाल पुत्र सुन्दर बैरवा के स्थान पर देवीलाल पुत्र सुन्दर जाति बैरवा पढ़ा जावे।

पीठसीन अधिकारी (एसडीएम)
राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
सपोटरा जिला करौली (राज0)

Scanned by CamScanner